कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

क्रमांक/मंडी/कृ.भो.व्य./2018–19/2861 बुरहानपुर, दिनांक 16 /01/2019

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा इच्छूक व्यापारियों/व्यवसायियों/फर्मो को सूचित किया जाता है कि, कृषि उपज मण्डी समिति बुरहानपुर द्वारा अपने मुख्य मण्डी प्रांगण एवं पुराना कपास प्रांगण,बुरहानपुर में कृषक भोजनालयों के संचालन हेतु कृषकों को सुलभता से कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित मीनू अनुसार प्रति थाली की दर के आधार पर सीलबंद भाव–पत्र दिनांक 15.02.2019 को अपरांह 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है, प्राप्त सीलबंद भाव–पत्र उसी दिनांक 15.02.2019 को अपरांह 3.00 बजे कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर में भाव–पत्र प्रस्तुतकर्ताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेगे।

कृषक भोजनालय के संचालन हेतु प्रति थाली की दर प्रस्तुत करने हेतु विस्तृत विवरणीः–

क्र.	भोजन का मीनू	स्थान	निविदा प्रपत्र का मूल्य	घरोहर राशि	दर	निर्धारित शुल्क
01	02	03	04	05	06	07
01	06 पूड़ी वजन **200** ग्राम,एक सब्जी व अचार **अथवा 06** रोटी **200** ग्राम दाल एवं सब्जी व अचार के साथ प्रति थाली उपलब्ध कराना।	केन्टीन भवन मुख्य मण्डी प्रांगण शनवारा रोड़, बुरहानपुर	2000/–	20000/–	कॉलम क्र. 02 में निर्धारित मीनू के आधार पर प्रति थाली की दर प्रस्तुत करना होगी।जिसमें प्रति थाली की अधिकतम निविदा दर **20/–** रू. से अधिक मान्य नहीं होगी।	5000/– अक्षरी रूपये पांच हजार प्रतिमाह।
02	06 पूड़ी वजन **200** ग्राम,एक सब्जी व अचार **अथवा 06** रोटी **200** ग्राम दाल एवं सब्जी व अचार के साथ प्रति थाली उपलब्ध कराना।	केन्टीन भवन रेणुकामाता रोड़ पुराना कपास प्रांगण, बुरहानपुर	2000/–	20000/–	कॉलम क्र. 02 में निर्धारित मीनू के आधार पर प्रति थाली की दर प्रस्तुत करना होगी।जिसमें प्रति थाली की अधिकतम निविदा दर **20/–** रू. से अधिक मान्य नहीं होगी।	2500/– अक्षरी रूपये दो हजार पॉच सौ प्रतिमाह।

शर्तेः–

01– भोजन प्रदाय व्यवस्था के लिये चयनित ठेकेदार को स्वच्छ स्थान/भवन एवं पानी मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके लिये संबंधित ठेकेदार को निर्धारित शुल्क कॉलम क्रमांक **07** में दर्शाये अनुसार प्रतिमाह भुगतान करना होगा।

02– सम्बंधित ठेकेदार को बिजली हेतु वास्तविक व्यय के आधार पर गणना अनुसार बिजली का बिल पृथक से प्रतिमाह भुगतान करना अनिवार्य होगा।

निरंतर//2//

03– प्रति थाली की अधिकतम निविदा दर **20/–** रू. होगी, इसमें राशि रू. **05/–** कृषक द्वारा देय होगा, एवं **15.00** रू. तक की राशि का भुगतान मण्डी समिति, बुरहानपुर द्वारा अनुबंधित निविदाकार को प्रदाय की जावेगी, प्रति थाली हेतु प्राप्त न्यूनतम दर पर ही स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा, एवं **20/–** रूपये से अधिक दर प्राप्त होने पर भाव–पत्र निरस्त कर दिये जावेगे।

04– निविदा के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं निविदा प्रपत्र राशि रू. 1000/– नगद जमा कर कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस को छोड़कर दिनांक 15.02.2019 तक प्राप्त किये जा सकते है।

05– उपरोक्त कृषक भोजनालयों के लिये भाव–पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अमानत राशि सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर के नाम से टी.डी.आर./ड्राफ्ट/नगद के रूप में स्वीकार की जावेगी।

06– बगैर अमानत राशि के भाव–पत्र नहीं खोले जावेगे।

07– उक्त ठेके की अवधि **03** वर्ष रहेगी, एवं यह अवधि कार्य के मूल्यांकन तथा आपसी सहमति के आधार पर एक वर्ष के लिए बढाई जा सकेंगी।

08– ठेका जिस व्यक्ति के नाम आवंटित होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानांतरण नही कर सकेगा।

09– ठेकेदार के अधिनस्त कार्यरत सेवकों को मण्डी समिति, बुरहानपुर द्वारा प्रसारित आदेश एवं मण्डी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा, अवहेलना की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जावेंगा।

10– भोजन के लिए उपलब्ध सामग्री का आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार मण्डी समिति, बुरहानपुर को होगा, सामग्री को खाद्य योग्य न पाये जाने की स्थिति में उसे जब्त/नष्ट/फिकवाने का अधिकार मण्डी समिति, बुरहानपुर के कर्मचारी/अधिकारी को होगा।

11– भोजनालय का ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मण्डी समिति, बुरहानपुर को रहेगा, मण्डी समिति किसी भी समय ठेके को निरस्त करने के लिए सक्षम होगी।

12– किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार मण्डी समिति, बुरहानपुर को रहेगा, जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

13– केन्टीन में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।

14– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

17.1.19 (श्रीमती प्रगति वर्मा) भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति बुरहानपुर म.प्र.	(रामवीर किरार) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति बुरहानपुर म.प्र.

(मण्डी में अपनी कृषि उपज बेचे, वह चतुर किसान, समय पर तौल, शीघ्र भुगतान)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर (म0प्र0)

E-Mail ID:- awmburkhd@nic.in Phone No. 07325-254681

क्रमांक / मण्डी / निर्माण / 2018–19 / 2870 बुरहानपुर दिनांक 16 / 01 / 2019

।। निविदा आमंत्रण सूचना।।

कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर जिला–बुरहानपुर (म0प्र) के मुख्य मण्डी प्रांगण, (फल–सब्जी मण्डी प्रांगण) बुरहानपुर का परिसर एवं प्रांगण परिसर में स्थित भवनों, शौचालयों, मुत्रालयों, आंतरिक एवं बाह्य सड़कों, निकासी नालियॉ, नीलामी प्लेटफार्म, पार्किंग आदि की सम्पूर्ण साफ–सफाई एवं कूड़ा–कचरा उठाकर मण्डी प्रांगण से बाहर नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थल पर एकत्रित कचरे को नियमित रूप से फैकने की व्यवस्था के लिए निविदाऍ आमंत्रित की जाती है। साफ–सफाई ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 20 / 01 / 2019 से दिनांक 15 / 02 / 2019 तक मण्डी समिति में राशि रू. 1000 / – (रूपये एक हजार) नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदाऍ जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15 / 02 / 2019 अपरान्ह समय 03:00 बजे तक ही रहेगी, प्राप्त निविदाऍ इसी दिनांक 15 / 02 / 2019 को ही सायंकाल 04:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेंगी, साफ–सफाई हेतु निर्धारित शर्तों एवं न्यूनतम वांछनीय आवश्यकताओं तथा अन्य जानकारी का अवलोकन मण्डी कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकारी मण्डी समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके लिए कारण बताओं अनिवार्य नही होगा।

(श्रीमति प्रगति वर्मा)
भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर

(रामवीर किरार)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर
जिला–बुरहानपुर

।। मण्डी में कृषि उपज बेचे, वह चतुर किसान।। ।।समय पर तौल, शीघ्र भुगतान।।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

क्रमांक/मंडी/निर्माण/2018–19/2993 बुरहानपुर दिनांक 25/1/19

।।संरचनाओ एवं भूखण्डों के आवंटन की चतुर्थ आमंत्रण सूचना।।

कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर के द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण, पुराना कपास मंडी प्रांगण, (रेणुका मंडी अनाज सेक्टर) एवं नवीन कपास मंडी प्रांगण में संरचनाओ तथा भूखण्डों को जहाँ है, जैसी स्थिति में वार्षिक अनुज्ञप्ति पर **30** वर्ष की अवधि के लिए एवं मासिक किराये पर आवंटित करने हेतु नीलामी बोली दिनांक **14.02.2019** को समय **11:00** बजे मुख्य मंडी प्रांगण कार्यालय, बुरहानपुर में आयोजित की गई है, उक्त जिन संरचनाओ को अनुज्ञप्ति पर एवं मासिक किराये पर आवंटन किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	संरचनाओ एवं भूखण्ड का नाम एवं स्थल	संख्या	क्षेत्रफल (प्रतिवर्ग मीटर) प्रत्येक संरचना	न्यूनतम मासिक किराया प्रत्येक संरचना	अनुज्ञप्ति फीस वार्षिक रूपये प्रत्येक संरचना	संरचना की **अपसेट वैल्यू** (रू. में) प्रत्येक संरचना	नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली **अग्रिम धन राशि** (रू. में) प्रत्येक संरचना
01	02	03	04	05	06	07	08
01	दुकान क्रमांक 01 से 5 तक (स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत) मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	05	19.20	----	576.00	7,81,000/-	78,100/-
02	दुकान क्रमांक 01 से 87 तक (छायादार चबूतरे) मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	87	07.50	----	225.00	1,72,000/-	17,200/-
03	गोदाम क्रमांक 01 से 13 (स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत) मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	13	21.30	----	639.00	5,97,000/-	59,700/-
04	गोदाम क्रमांक 14 मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	01	54.45	----	1633.00	12,75,000/-	1,27,500/-
05	गोदाम क्रमांक 23 मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	01	54.45	----	1633.00	12,75,000/-	1,27,500/-
06	गोदाम क्रमांक 32 मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	01	100.80	----	3024.00	26,52,000/-	2,65,200/-
07	गोदाम क्रमांक 33 मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	01	109.88	----	3296.00	29,34,000/-	2,93,400/-
08	भूखण्ड क्रमांक 06,08 एवं 10 पुराना कपास मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	03	135.00	----	4050.00	8,78,000/-	87,800/-
09	गोदाम क्रमांक 01 से 03 (पुराने रिक्त गेरेज–03 नग) मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	03	59.85	----	1796.00	14,73,000/-	1,47,300/-
10	1000 M.T. क्षमता का गोदाम मुख्य मण्डी प्रांगण बुरहानपुर	01	670.60	----	20118.00	1,74,36,000/-	17,43,600/-
11	14 नग पेमेन्ट काउन्टर्स नवीन कपास मण्डी प्रांगण, बुरहानपुर	14	33.11	3045/-	----	9,11,000/-	91,100/-
12	गोदाम क्रमांक 02 पुराना कपास मण्डी प्रांगण, बुरहानपुर	01	82.13	3491/-	----	22,17,500/-	2,21,750/-

(01) नीलामी से संबंधित जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक विस्तृत अनिवार्य शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय मे दिनांक **13/02/2019** तक कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर मे किया जा सकता है।

(02) उपरोक्तानुसार नीलामी में भाग लेने वाली फर्मो को कॉलम क्रमांक 08 मे दर्शित निर्धारित अग्रिम धन राशि नीलामी बोली दिनांक से एक दिवस पूर्व दिनांक 13/02/2019 को सायं 05:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।

(रामवीर किरार)
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर (म.प्र.)

(प्रगति वर्मा)
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर (म.प्र.)

(मण्डी में कृषि उपज बेचे, वह चतुर किसान, सही तौल, समय पर भुगतान)

शर्तेः–

(01) उपरोक्तानुसार संरचनाओ एवं भूखण्डों को 30 वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति पर मंडी समिति, बुरहानपुर के अनुज्ञप्तिधारी पात्र व्यापारियो/फर्म को म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। दिनांक 13.02.2019 तक की स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को ही नीलामी प्रक्रिया मे भाग लेने दिया जायेगा। उक्त दिनांक के पश्चात के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म भाग नही ले सकेगे।

(02) उपरोक्तानुसार संरचनाओ की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक मंडी समिति, बुरहानपुर के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को अग्रिम धन के रूप में उनके सम्मुख दर्शित राशि कॉलम क्रमांक 08 के अनुसार नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप मे सचिव कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर के नाम से देय हो, नीलामी बोली के एक दिन पूर्व दिनांक 13.02.2019 तक कार्यालय मे जमा करनी होगी।

(03) उच्चतम बोली लगाने वाले अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म को मंडी समिति द्वारा उसकी बोली स्वीकृति की लिखित सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर बोली की पूर्ण रकम निक्षेप (जमा) करना अनिवार्य होगा। इस राशि मे आवेदन के साथ जमा अग्रिम धन की राशि समायोजित की जा सकेगी।

(04) मंडी समिति, आवंटन नियम 2009 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के लिये रूपये 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से न्यूनतम वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस उद्‌ग्रहीत करेगी। अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात मंडी समिति के वर्गीकरण मे किये गये किसी परिवर्तन के कारण मूलतः नियत की गई अनुज्ञप्ति फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, आवंटित संरचना पर नियमानुसार सर्विस टेक्स देय होगा।

(05) मंडी समिति द्वारा आवंटन नियम 2009 के नियम 13 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस रूपये 40 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक् की दर प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित की जायेगी। दरों मे कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, एवं नियमित रूप से किराया जमा नही करने पर 16 प्रतिशत अधिभार की राशि अतिरिक्त रूप से वसूली जावेंगी।

(06) नीलाम की बोली रू. 500/- के गुणांक में ही स्वीकार की जावेंगी।

(रामवीर किरार)	(प्रगति वर्मा)
सचिव	भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति	कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर (म.प्र.)	बुरहानपुर (म.प्र.)

(मण्डी में कृषि उपज बेचे, वह चतुर किसान, सही तौल, समय पर भुगतान)